## न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी – **सुषमा शर्मा,**
आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दाण्डिक अपील संख्या – 76 / 2023
सी.आई.एस. नम्बर – 694 / 2023

श्रीमती हंसा कंवर पत्नी श्री भंवानी सिंह शेखावत, निवासी प्लॉट नंबर 225, जगदम्बा नगर ई, हरनाथपुरा, कालवाड रोड, जयपुर

––अपीलार्थी / परिवादिया

**बनाम**

भवानी सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह शेखावत, निवासी प्लॉट नंबर 167, रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, अपना आंगन, अपार्टमेंट–पंचम, सिरसी लिंक रोड, गोविन्दपुरा, कालवाड रोड, जयपुर अन्य पता ग्राम बेरी भजनगढ, तहसील पीपराली, नवलगढ रोड, सीकर

––––प्रत्यर्थी

**दाण्डिक अपील अन्तर्गत धारा 29 घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 विरूद्व आदेश दिनांक 10.10.2023**
प्रकरण सं0–74 / 2019 सीआईएस नंबर 485 / 2019 हंसा कंवर बनाम भवानी सिंह
न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 06, जयपुर महानगर प्रथम
पीठासीन अधिकारी सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

**::– निर्णय ::–** दिनांक : **24.06.2026**

**1.** अपीलार्थी / प्रार्थिया ने यह अपील न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा प्रकरण संख्या 74 / 2019, सीआईएस नंबर 485 / 2019 बउनवानी हंसा कंवर बनाम भवानी सिंह में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023, से व्यथित होकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की जो अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

**2.** इस प्रकरण में आगे सुविधा की दृष्टि से घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 को अधिनियम के नाम से संबोधित किया जाएगा।

**3.** न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 10.10.2023, तथ्यों एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यदि हां तो किस कदर ?

**4.** अपील मैमो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थिया/प्रार्थिया का विवाह दिनांक 16.04.2004 को विधि अनुसार समन्न हुआ। विवाह के पश्चात् प्रार्थिया के पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में प्रत्यर्थी व उसके परिजनों द्वारा प्रार्थिया को कम दहेज के संबंध में ताने व उलाहने दिए व मारपीट व झगडा किया। मानसिक व शारीरिक यातनाएं दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक प्रार्थिया द्वारा अंतरिम अनुतोष हेतु निवेदन किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर विवाह होना व स्वयं के पुत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.10.2023 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के सर्वथा विपरीत व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर एक तरह से परिवाद पत्र के अनुतोष भी अस्वीकार कर दिया है। परिवादिया द्वारा एक रिपोर्ट महिला थाना बनीपार्क, पश्चिम जयपुर में दिनांक 10.07.2018 को पेश की गई थी तथा दोनों पक्षों में मध्यस्थता एवं समझाईश करकाई गई थी और समझाईश के आधार पर अपीलार्थिया के रिपोर्ट प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया था। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की जा रही थी। प्रार्थिया एवं पुत्र के भरण पोषण आदि की जिम्मेदारियां प्रत्यर्थी की है। अपीलार्थिया ने परिवाद में प्रत्यर्थी एवं उसके परिजवारजन द्वारा लडाई झगडा करने, दहेज मांगने व प्रत्यर्थी द्वारा शराब पीकर घर आने व मारपीट करने तथा प्रत्यर्थी के अन्य औरतों से अवैध संबंध होने के तथ्य वर्णित किए हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया है कि प्रार्थिया द्वारा इतने लम्बे समय तक कोई भी विधिक कार्यवाही प्रत्यर्थी के विरूद्ध अमल में क्यों नहीं लाई गई। अपीलार्थिया ने इतने समय तक इंतजार किया कि किसी ने किसी प्रकार प्रत्यर्थी व उसके परिवारजनों के मन में दया आएगी, परन्तु प्रत्यर्थी ने अपीलार्थिया से विवाह विच्छेद की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना ही तथा प्रकरण में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को देखे बिना ही केवल मात्र फौरी तौर पर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूमि की है। अंत में निवेदन किया कि आदेश विधिनुसार नहीं होने से आदेश दिनांक 10.10.2023 को निरस्त कर अपीलार्थीया की ओर से पेश अपील स्वीकार कर उसके व उसके बच्च के निवास एवं भरण पोषण के उचित आदेश पारित किया जावे।

**5–** प्रकरण में पक्षकारान व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण अपील मैमो में वर्णित आधारों के आधार पर गुणावगुण पर किया

जा रहा है।

**6.** अपीलार्थिया की ओर से अपील मैमो में अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया/प्रार्थिया का अन्तरिम अनुतोष बाबत् प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि पूर्व में प्रार्थिया की ओर से एक रिपोर्ट महिला थाना बनीपार्क, जयपुर पश्चिम में दिनांक 10.07.2018 को पेश की गई थी, जिसमें जांच की जाकर दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवाई जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया था। जिससे प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थिया/प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित किए जाने का तथ्य प्रकट है। तो इस संदर्भ में न्यायालय का मत है कि यदि प्रार्थिया/अपीलार्थिया का उक्त तर्क मान भी लिया जावे कि पूर्व में उसके द्वारा महिला थाने में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था और उसपर दोनों पक्षों की समझाईश करवाई गई थी। परन्तु इस प्रार्थना पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी के द्वारा प्रार्थिया/अपीलार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई थी। उक्त प्रार्थनापत्र के संदर्भ में स्वयं प्रार्थिया/अपीलार्थिया द्वारा यह अंकित किया है कि दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवाई गई थी। इसका तात्पर्य दोनों पक्षों के मध्य ही विवाद विद्यमान था। आवश्यक नहीं है कि विवाद घरेलू हिंसा को लेकर ही रहा हो।

**7.** जहॉ तक अपीलार्थिया/प्रार्थिया की अपील मैमो में यह तर्क रहा है कि अपीलार्थिया और प्रत्यर्थी के विवाह से उनके एक पुत्र भी है। जिसके भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी की है। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा अपने पुत्र के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जा रहा है, तो इस संबंध में विधि है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्ट्या न्यायालय में यह तथ्य साबित होना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थिया/प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई है। घरेलू हिंसा कारित किए जाने का तथ्य प्रकट होने के पश्चात् ही इस विधि के तहत न्यायालय द्वारा भरण पोषण या अन्य कोई अनुतोष दिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य विधि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम विशेष विधि है जो कि तभी प्रवर्तन में आती है जब प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थिया/प्रार्थिया के साथ घरेलू हिंसा कारित किए जाने का तथ्य प्रकट हो।

**8.** जहॉ तक अपीलार्थिया/प्रार्थिया का यह तर्क रहा है कि उसके द्वारा अपने

परिवाद में प्रत्यर्थी व उसके परिजनों द्वारा कम दहेज लाने और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने, लडाई झगडा करने, शराब पीकर मारपीट किए जाने का तथ्य अंकित किया है। तो इस संबंध में प्रार्थिया अपीलार्थिया की ओर से पेश परिवाद का अवलोकन करें तो प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी विशिष्ट घटना का अंकन नहीं किया है। जब अप्रार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा उसे दहेज को लेकर मारपीट की गई हो, न ही कोई वर्ष, माह, तारीख का अंकन किया है जब प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ शराब पीकर मारपीट की गई हो। इसके अतिरिक्त यह तथ्य प्रकट है कि अपीलार्थी प्रार्थिया की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2019 को पेश किया गया था, जो कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी की कओर से धारा 13(1)(क) एवं (1)(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात् पेश किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रकरण में प्रार्थिया के फोटोग्राफ्स भी पेश किए गए हैं, जिसमें अपीलार्थिया/प्रार्थिया आपत्तिजनक स्थिति में अन्य व्यक्ति के साथ नजर आ रही है।

**9.** इसके अतिरिक्त अपीलार्थिया/प्रार्थिया की ओर से अपील मैमो में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रत्यर्थी के अन्य महिलाओं के साथ संबंध है। परन्तु अपने परिवाद में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि उसके किन महिलाओं के साथ संबंध है।

**10.** इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो अपीलार्थिया/प्रार्थिया लम्बे समय से साक्ष्य प्रार्थिया हेतु उपस्थित नहीं आ रही है और उसकी ओर से प्रकरण में लम्बे समय से साक्ष्य पेश नहीं की जा रही है। जिससे भी यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलार्थिया/प्रार्थिया जान बूझकर न्यायालय के समक्ष स्वयं की साक्ष्य पेश नहीं कर रही है। जबकि प्रकरण लम्बे समय से साक्ष्य अपीलार्थिया/प्रार्थिया हेतु नियत है।

**11.** अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकट है कि विधि व तथ्यों का विस्तृत रूप से विवेचन किया जाने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में अपीलार्थिया/प्रार्थिया की अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है।

**12.** अतः अपीलार्थिया/प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा खारिज किये जाने एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2023

पुष्ट किये जाने योग्य है।

**: : आ दे श : :**

**13.** फलतः अपीलार्थिया / प्रार्थिया श्रीमती हंसा कंवर पत्नी श्री भंवानी सिंह शेखावत, निवासी प्लॉट नंबर 225, जगदम्बा नगर ई, हरनाथपुरा, कालवाड रोड, जयपुर की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 की पुष्टि की जाती है।

**14.** आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख को वापस लौटाया जावे।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2
जयपुर महानगर–प्रथम

**15.** निर्णय / आदेश आज दिनांक 24.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुषमा शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–2
जयपुर महानगर–प्रथम

SHRIKRISHAN SHARMA

Steno Gr. III
"Authenticated document"
Digitally signed by SHRIKRISHAN SHARMA
Date: 2026.07.27 10:48:56 +0530